संख्याः– 5169 /पांच–रा0ग्राम0 सृजन/2016

प्रेषक,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद्,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

दिनांकः– 03 जनवरी, 2017

विषयः– नये राजस्व ग्रामों के सृजन हेतु परिषद् को प्रेषित प्रस्तावों में स्पष्ट आख्या/विवरण प्रेषित करने हेतु शासनादेश संः– 1552/18(1)/2015–02(10)/2009, दिनांकः– 30 नवम्बर, 2015 के अनुपालन में निर्धारित प्रारूप का प्रेषण।

महोदय,

कृपया, उपर्युक्त विषय के संदर्भ में अवगत करना है कि नये राजस्व ग्राम सृजन हेतु शासनादेश संः– 1552/18(1)/2015–02(10)/2009, दिनांकः– 30 नवम्बर, 2015 के मानकों के अधीन जो प्रस्ताव तैयार कर जनपदों से प्राप्त हो रहे हैं, उनमें कतिपय बिन्दुओं पर स्पष्ट आख्याएं एवं विवरण नहीं प्राप्त हो रहे हैं, जिसके फलस्वरूप प्रस्तावों के परीक्षण में कठिनाई के कारण शासन की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जाना सम्भव नहीं हो पाता है तथा कतिपय प्रस्ताव शासन से आपत्ति इंगित करते हुए वापस प्राप्त हो रहे हैं। अतः जनपद स्तर से नये राजस्व ग्रामों के प्रस्तावों में संलग्न प्रारूप के उल्लिखित बिन्दुओं पर परिषद् को स्पष्ट आख्या प्रेषित करना आवश्यक है।

अतः अनुरोध है कि नये राजस्व ग्रामों के सृजन हेतु शासन स्तर से निर्धारित मानकों के अनुरूप बनाए गए प्रारूप पर संबंधित प्रविष्टियों को अंकित कर, प्रस्ताव तैयार कर वांछित संस्तुति सहित ही औचित्यपूर्ण प्रस्ताव परिषद् को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय

(एस0 एन0 पाण्डे)
आयुक्त एवं सचिव।

प्रतिलिपिः–
1. स्टाफ आफिसर, मा0 अध्यक्ष, राजस्व परिषद् को मा0 अध्यक्ष के अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, उत्तराखण्ड शासन, राजस्व विभाग, देहरादून को अवलोकनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊं मण्डल, नैनीताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आयुक्त एवं सचिव।

| क0 सं0 | मद | पूर्व सृजित राजस्व ग्राम | प्रस्तावित राजस्व ग्राम | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | **Z.A खतौनियों के आधार पर** | | | |
| | (क) कुल खाता संख्या | | | |
| | (ख) कुल खसरा नं0 | | | |
| | (ग) भूमि का क्षेत्रफल | | | |
| | (घ) संक्रमणीय भूमि का क्षेत्रफल | | | |
| | (ड़) खातेदारों की संख्या | | | |
| | (च) कृषित क्षेत्रफल | | | |
| | (छ) अकृषित क्षेत्रफल | | | |
| 2. | **Non Z.A खतौनियों के आधार पर** | | | |
| | (क) कुल खाता संख्या | | | |
| | (ख) कुल खसरा नं0 | | | |
| | (ग) भूमि का क्षेत्रफल | | | |
| | (घ) खातेदारों की संख्या | | | |
| | (ड़) कृषित क्षेत्रफल | | | |
| | (च) अकृषित क्षेत्रफल | | | |
| 3. | वन पंचायत/वन भूमि का क्षेत्रफल | | | |
| 4. | सार्वजनिक उपयोग के भूमि की श्रेणी एवं क्षेत्रफल (यथाः चरागाह, श्मशान, कब्रिस्तान, इत्यादि) | | | |
| 5. | आवागमन के साधन | | | |
| 6. | जनसंख्या | | | |
| 7. | परिवार संख्या | | | |
| 8. | ग्राम पंचायत (पूर्व सृजित/प्रस्तावित राजस्व ग्राम हेतु एक ही है अथवा अलग–अलग)। | | | |
| 9. | पूर्व सृजित राजस्व ग्राम से प्रस्तावित राजस्व ग्राम की दूरी | | | |
| 10. | मूल ग्राम सभा की खुली बैठक में पृथक राजस्व ग्राम के गठन हेतु दी गई अनापत्ति/सहमति (प्रमाण पत्र/प्रस्ताव संलग्न करें)। | | | |
| 11. | क्या प्रस्तावित राजस्व ग्राम में स्थानीय निकाय (नगर पंचायत/नगर पालिका परिषद्/नगर निगम) की कोई भूमि/क्षेत्रफल तो सम्मिलित नहीं है। यदि है, तो क्या संबंधित स्थानीय निकाय से अनापत्ति प्राप्त कर ली गई है? (प्रमाण पत्र/प्रस्ताव की प्रति संलग्न करें)। | | | |
| 12. | मूल ग्राम एवं प्रस्तावित ग्राम के निवासियों के पारस्परिक/सामुदायिक हक हकूकों के सम्बन्ध में यदि कोई विवाद हो तो उसका विवरण तथा क्या उनके पारस्परिक/सामुदायिक हक हकूकों का निर्धारण नये राजस्व ग्राम का प्रस्ताव करने से पूर्व कर लिया गया है? (प्रमाण पत्र संलग्न करें)। | | | |
| 13. | मैदानी जनपदों में जहां चकबन्दी की | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | कार्यवाही आरम्भ है, वहां चकों का निर्माण क्या प्रस्तावित राजस्व ग्राम विभाजन अथवा विलयीकरण के अनुसार कर लिया गया है? (प्रमाण पत्र संलग्न करें)। | | | |
| 14. | पुनर्गठित ग्रामों की सीमाएं (यथा सम्भव भौगोलिक एवं प्राकृतिक हों)। | | | |
| 15 | क्या प्रस्तावित/पुनर्गठित ग्राम में सम्मिलित किये जाने वाले तोक/तोकों की आबादी व जनसंख्या का विभाजन तो नहीं किया गया है? (प्रमाण पत्र संलग्न करें)। | | | |
| 16. | राजकीय सम्पत्ति का विवरण मूल/प्रस्तावित राजस्व ग्रामों का यथा पंचायत घर, आंगनवाड़ी केन्द्र, विद्यालय, नलकूप, स्वास्थ्य केन्द्र, पटवारी चौकी, अन्य यदि कोई हों। | | | |
| 17. | क्या जिलाधिकारी स्तर पर सहखातेदारी की वर्तमान स्थिति व सजरों के स्थलीय सत्यापन के आधार पर सत्यापन किया गया है? (प्रमाण पत्र संलग्न करें)। | | | |
| 18. | क्या राजस्व ग्राम के वर्तमान राजस्व अभिलेखों के आधार पर पुनर्गठन के उपरान्त सृजित राजस्व ग्रामों के अधिकार अभिलेखों को तैयार करने के लिए अभिलेखीय कार्यवाही के साथ–साथ सर्वेक्षण प्रक्रिया तथा चकबन्दी की कार्यवाही राजस्व ग्राम के गठन से पूर्व आवश्यक है या नहीं? (विधिक औचित्य के साथ राजस्व ग्राम के गठन के प्रस्ताव में इसका उल्लेख स्पष्ट रूप से किया जाय)। | | | |

**जिलाधिकारी की स्पष्ट संस्तुति (शासनादेश संख्याः– 1552/18(1)/2015–02(10)/2009, दिनांकः– 30 नवम्बर, 2015 में दिए गए मानकों के आलोक में)**

1. शासनादेशानुसार जो मानक पूर्ण हो रहे हैं, उनका विवरण दें। .....
.....

2. शासनादेशानुसार जो मानक पूर्ण नहीं हो रहे हैं, उनका विवरण अलग से दें। .....
.....

3. संस्तुति (स्पष्ट रूप से अंकित करें)। .....

हस्ताक्षर (मुहर सहित)
नाम .....
पदनाम जिलाधिकारी
जनपद .....
मण्डल .....

उप राजस्व आयुक्त (भू.व्य.)
राजस्व परिषद
उत्तराखण्ड, देहरादून